HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 14802/2025
CNR: RJHC011072902025
URN: CRLMB / 30788U / 2025

Reena W/o Late Shre Chhagan Lal, Aged About 25 Years, D/o Shri Ratan Lal R/o Bheelakheda Ps Mangalwad District Chittorgarh (Presently Lodged in Dist. Jail Chittorgarh)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

17/07/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 238(ए) व 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर खारिज किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है, उसके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उस पर मृतक छगनलाल की हत्या कारित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप है। 22 साक्षीगण में से केवल 5 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए हैं, जिनमें मृतक के पिता गोरू पी.डब्ल्यू.–5 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने बयान में सहअभियुक्त दिनेश के साथ शत्रुता होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता का नाम लिखवाया जाना बताया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता व सहअभियुक्त दिनेश के बीच जो मोबाईल वार्ता हुई, उसमें दिनेश ने ही प्रार्थीया/अभियुक्ता से बात की, प्रार्थीया/अभियुक्ता ने कोई बात सहअभियुक्त दिनेश से नहीं की। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता पर अपने प्रेमी सहअभियुक्त दिनेश बंजारा के साथ प्रेम प्रसंग रखते हुए उसके साथ मिलकर अपने पति छगनलाल की हत्या कारित करने के अपराध का आरोप है। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता अपने प्रेमी दिनेश के साथ प्रेम प्रसंग में थी, उनके मध्य शारीरिक संबंध भी बनते थे तथा वह अपने प्रेमी के साथ भाग भी गयी थी तथा 10 दिन बाद वापस लौटी और बंजारा समाज के पंच इकट्ठे हुए व आपस में समझौता करवाया। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि घटना घटित होने के समय

प्रार्थीया/अभियुक्ता व सहअभियुक्त दिनेश के मोबाईल की टावर लोकेशन एक जगह ही थी और दोनों के द्वारा मोबाईल पर 8 बार बातचीत की गयी।

प्रकरण में सहअभियुक्त बद्रीलाल का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8712/2025 आदेश दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से तथा अन्य सहअभियुक्त दिनेश का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2035/2025 आदेश दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। प्रकरण में मृतक की हत्या कारित करने में प्रयुक्त गमछे की बरामदगी, मौका तस्दीक बरामदगी स्थल मोबाईल व फर्द विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित साक्षीगण, अन्वेषण अधिकारी आदि महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **रीना पत्नी स्व. छगन लाल पुत्री रतनलाल** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थीया/अभियुक्ता लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि फर्द जब्ती, फर्द बरामदगी, अनुसंधान अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध कर प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/02 (JD)